

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.3(90)नविवि / 3 / 2012

जयपुर, दिनांक:— 21.06.2012

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. सचिव, नगर सुधार न्यास, (समस्त) राजस्थान।
4. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
5. अधिशासी अधिकारी नगरपालिका (समस्त) राजस्थान।

.विषय:— राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क एवं तत्त्वीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012।

संदर्भ :— इस विभाग का पत्र क्रमांक प.3(67)नविवि / 3 / 2012 दिनां 17.05.2012 एवं 04.06.2012।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-बी को विलोपित करते हुये धारा 90-ए में संशोधन कर नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन के उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन हेतु नयी उप-धारायें (5) से (9) जोड़ी जाकर उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं। इसके साथ ही राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 60 (4), राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 71 (1), जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54 (ख) (1) व जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 49 (1) में भी संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन अधिनियम की अधिसूचना दिनांक 02.05.2012 को जारी हो चुकी है, जिसकी प्रति आपको इस विभाग के पत्र क्रमांक प.3(67)नविवि / 3 / 2012 दिनांक 17.05.2012 को प्रेषित की जा चुकी है।

नवीन प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 की अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 को जारी की जा चुकी है, जिसकी प्रति आपको प्रेषित की जा चुकी है।

धारा 90-बी के विलोपन से राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 का नियम 15-क भी अब निष्प्रभावी हो गया है, अतः इन प्रावधानों को दिनांक 11.06.2012 की अधिसूचना से विलोपित किया जा चुका है।

भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए एवं राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 और जोधपुर विकास प्राधिकरण 2009 के प्रावधानों में दिनांक 02.05.2012 की अधिसूचना से किये गये संशोधन तथा दिनांक 31.05.2012 की अधिसूचना से जारी किये गये नये नियमों के मुख्य-मुख्य प्रावधान और इनके तहत की जाने वाली कार्यवाही के प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार से हैं :-

(अ) दिनांक 17.06.1999 के बाद के प्रकरण –

विधिक स्थिति –

1. नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 17.06.1999 के बाद के कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु अनुमति तथा भूमि आवंटन के प्रकरणों के संबंध में भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (6) व (7) के प्रावधान विशेषतः लागू होंगे, साथ ही उप-धारा (1) से (4) तथा उप-धारा (9) के प्रावधान भी इन मामलों में लागू रहेंगे। राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के अध्याय-2 के प्रावधान केवल 17.06.1999 के बाद के प्रकरणों में ही लागू है।
2. नगरीय क्षेत्रों में स्थित कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग की अनुमति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दी जायेगी, लेकिन ऐसी भूमि का आवंटन नगर निकाय (Local Authority) द्वारा ही किया जायेगा।
3. कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति संबंधित व्यक्ति को उसी स्थिति में दी जायेगी यदि भूमि ऐसी अनुमति के लिए प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं हो तथा चाहा गया गैर-कृषिक प्रयोजन उस क्षेत्र में लागू विधि के अनुसार अनुज्ञेय हो और उस क्षेत्र में लागू मास्टर प्लान या अन्य डबलपमेन्ट प्लान या स्कीम के अनुरूप हो।
4. उक्त अनुमति के लिए जो भूमियों प्रतिबंधित श्रेणी में मानी गयी है उन्हें ऊपर वर्णित नियमों के नियम 3 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया हुआ है।
5. कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए अनुमति प्रदान करने के साथ ही कृषि भूमि पर से खातेदारी अधिकार समाप्त हो जायेगे और भूमि संबंधित नगर निकाय अर्थात् जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर परिषद, या यथास्थिति, नगर-पालिका के निस्तारण पर रखी हुयी (व्ययाधीन) समझी जायेगी।
6. नगर निकाय के निस्तारण पर रखी (व्ययाधीन) समझी गयी भूमि नगर निकाय द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसको कि अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग की अनुमति दी गयी है या ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारियों, समनुदेशितियों या अन्तरितियों (successors, assignees or transferees) को आवंटन के लिये उपलब्ध रहेगी।
7. प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति दिनांक 31.05.2012 की अधिसूचना से की जा चुकी है।

✓

धारा 90-क के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

8. कृषि से अकृषि प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग की अनुमति और उसके उपरान्त भूमि आवंटन के लिए आवेदक को आवेदन पत्र अलग-अलग नहीं देना है केवल एक बार में ही देना है। इस आवेदन पत्र की चार प्रतियाँ (एक मूल सैट तथा तीन सैट स्वयं आवेदक द्वारा अनुप्रमाणित प्रतियों के रूप में) प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी।
9. मास्टर प्लान/मास्टर डिवलपमेन्ट प्लान/स्कीम में भूमि के अनुज्ञेय उपयोग के अनुरूप कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा दी जा सकती है। अतः अनुज्ञेय उपयोग की अनुमति हेतु ही प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होंगे।
10. यदि कोई व्यक्ति मास्टर प्लान में दर्शित उपयोग से भिन्न उपयोग के लिए अनुज्ञा चाहता है तो सर्वप्रथम भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही संबंधित कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित होगी। वांछित प्रयोजन हेतु मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन होने के उपरान्त ही अनुज्ञा हेतु आवेदन किया जा सकेगा।
11. आवेदन पत्र प्ररूप-1 में होगा जिसके साथ प्ररूप-2, प्ररूप-3 एवं प्ररूप-4 भी संलग्न करने होंगे। इसके अतिरिक्त लै-आउट प्लान/साईट प्लान, की-मैप, सर्व मैप, खसरा मैप, जमाबंदी आदि दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। निर्धारित आवेदन प्रपत्रों में वर्णित बिन्दुओं पर आवेदित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा पूर्ण जानकारी अंकित की जायेगी।
12. प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक निर्धारित रजिस्ट्रर में दर्ज करना होगा।
13. आवेदक को आवेदित भूमि के लिए जिस प्रयोजन के लिए अनुमति चाही गयी है उससे संबंधित दर के आधार पर प्रीमियम राशि की 10 प्रतिशत राशि के बराबर राशि का चालान आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। यह राशि भूमि आवंटन की स्थिति में जमा होने वाली प्रीमियम राशि में समायोजित मानी जायेगी और आवेदन खारिज होने की स्थिति में रिफण्ड की जा सकेगी।
14. प्रीमियम दरों के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही जारी की जायेगी।
15. आवेदन पत्र **On-line** भी प्रस्तुत हो सकेंगे। अतः जिन नगर निकायों में वर्तमान में इसकी व्यवस्था नहीं है उनके द्वारा आवश्यक संसाधन हेतु कार्यवाही की जावे।

आवेदन पत्रों की जाँच एवं उनका निपटारा

16. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 5 दिवस की अवधि में 4 सैट प्रतियों में से 1 सैट नगर निकाय को और 1 सैट नगर निकाय में कार्यरत तहसीलदार अथवा उसके न होने पर उस क्षेत्र के तहसीलदार को प्रेषित किया जायेगा।

✓

17. अनुच्छेद 16 के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति एवं नवीनतम जमाबंदी के आधार पर तहसीलदार मुख्यतः यह जांच करेगा कि भूमि का हक आवेदक का है, एवं भूमि किसी प्रतिबंधित श्रेणी में तो नहीं है और किसी न्यायालय का स्थगन आदेश तो नहीं है। आदि। तहसीलदार नियमों में निर्धारित प्ररूप-6 में अपनी सहमति अथवा आक्षेप की स्पष्ट रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित करेगा। तहसीलदार की रिपोर्ट 15 दिवस में नहीं आने पर मान लिया जावेगा कि तहसीलदार को कोई आपति नहीं है।
18. प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति एवं उसके संलग्न ले-आउट प्लान/साईट प्लान/की-मैप/सर्व मैप तथा अन्य दस्तावेजों के आधार पर नगर निकाय के अधिकारियों द्वारा आवेदित भूमि का एक निश्चित समयावधि के भीतर मौका देखा जायेगा जिसकी कार्यवाही की रिपोर्ट नियमों में निर्धारित प्ररूप-7 में संबंधित अधिकारियों द्वारा की जायेगी और उनके द्वारा हस्ताक्षरित भी की जायेगी। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न ले-आउट प्लान की संवीक्षा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों का उपविभाजन, पुनर्गठन एवं सुधार) नियम, 1975, स्थानीय प्राधिकारी के संबंधित भवन विनियमों /उपविधियों तथा टाउनशिप पॉलिसी में विनिर्दिष्ट मानकों/शर्तों तथा राज्य सरकार के निर्देशों के दृष्टिगत की जायेगी और मास्टर प्लान में दर्शित भू-उपयोग देखा जायेगा। तदनुसार प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारित प्ररूप-8 में 15 दिवस के भीतर नगर निकाय की ओर से स्पष्ट रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी कि आया आवेदित भूमि पर चाहे गये अकृषिक उपयोग की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं।
19. नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सहमति/आक्षेप दर्शाते हुये 15 दिवस के भीतर प्ररूप-8 में अपनी रिपोर्ट ले-आउट प्लान के अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा किये बिना ही भेजी जायेगी।

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लोकसूचना का प्रकाशन

20. प्राधिकृत अधिकारी आवेदन पत्र की एक प्रति तहसीलदार तथा एक प्रति नगर निकाय को भेजने के साथ-साथ अपने रत्तर से भी कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये प्रार्थना पत्र पर नियमों में निर्धारित प्ररूप-10 में लोक सूचना के जरिये आपतियां आमंत्रित करेगा। यह लोक सूचना 7 दिवस में लिए प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रतिष्ठित करेगा साथ ही यह लोक सूचना आवेदक के खर्च पर राज्यस्तरीय एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित की जायेगी। लोक सूचना जारी करने, आपतियां आमंत्रित करने और आवश्यक जांच व आपतियों के निस्तारण की यह कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी समानान्तर जारी रखेगा, इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार अथवा नगर निकाय की रिपोर्ट का इन्तजार नहीं करेगा। प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक आवेदन पत्र के संबंध में की गयी संवीक्षा की कार्यवाही को नियमों में निर्धारित प्ररूप-9 में वर्णित करेगा।
21. राज्यस्तरीय समाचार पत्र में आवेदक के खर्च पर लोकसूचना स्वयं आवेदक के माध्यम से भी प्रकाशित करायी जा सकती है।

✓

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निस्तारण

22. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट, नगर निकाय की रिपोर्ट, प्राप्त आपतियों एवं उनके निस्तारण, अपने स्तर पर की गयी जांच, अन्य संबंधित सभी तथ्यों के दृष्टिगत कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग की अनुमति के प्रार्थना पत्र का निस्तारण प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 45 दिवस की समयावधि में किया जाना अनिवार्य होगा।
23. कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि के उपयोग की अनुमति जिन भूमियों के संबंध में निषिद्ध की हुयी है उनका विवरण राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 3 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। प्राधिकृत अधिकारी आवेदन पत्र का निस्तारण करने से पूर्व नियम 3 के प्रावधानों को भी अच्छी तरह से अध्ययन कर लेवे।
24. कृषि भूमि के गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा दिये जाने की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी प्ररूप-11 में आदेश जारी करेगा। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा 7 दिवस के भीतर राजस्व रिकॉर्ड में नगर निकाय के नाम भूमि का इन्द्राज कराया जायेगा, जिसकी रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी व नगर निकाय को भी दी जायेगी। प्रत्येक माह की 5 तारीख को प्राधिकृत अधिकारी सभी ऐसे आदेशों की एक सूची जिला कलेक्टर को भेजेगे ताकि वे भी अपने स्तर पर संबंधित तहसीलदार से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज संबंधी पालना किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करा सकें।
25. यदि तहसीलदार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की पालना में नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जाती है तब भी भूमि आवंटन/ले-आउट प्लान अनुमोदन आदि की कार्यवाही जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की जानी है वह प्रभावित नहीं होगी, और नियमों के दृष्टिगत सम्पन्न की जायेगी।
26. प्राधिकृत अधिकारी अपने आदेश की प्रति नगर निकाय को भी भेजेगा ताकि नगर निकाय अनुज्ञेय गैर-कृषि उपयोग के अनुसार ले-आउट प्लान के अनुमोदन व भूमि आवंटन की कार्यवाही कर सके।
27. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश की एक प्रति संबंधित खातेदार, जिसके अधिकार समाप्त किये गये हैं, को भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जायेगी, अन्य किसी माध्यम से नहीं दी जायेगी।
28. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन निरस्त किये जाने की स्थिति में कारण अभिलिखित करने अनिवार्य होगे।

✓

निर्धारित समयावधि में निस्तारण नहीं होने पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

19. यदि 45 दिवस की अवधि के भीतर प्राधिकृत अधिकारी आवेदन पत्र का निस्तारण नहीं कर पाता है तो उसे उच्चतर अधिकारी को पत्रावली 3 दिवस के भीतर कार्रण बताते हुये प्रस्तुत करनी होगी जिस पर उच्चतर अधिकारी 15 दिवस तक का समय बढ़ा सकता है और फिर भी प्राधिकृत अधिकारी निर्णय नहीं कर पाये तो पत्रावली पुनः उच्चतर अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी तब उच्चतर अधिकारी कालावधि विस्तार या मामले के निपटारे के लिये यथोचित आदेश पारित करेगा। यह उच्चतर अधिकारी ऐसे मामलों की सूचना राज्य सरकार को प्रतिमाह भेजेगा। निकायों के लिए उच्चतर अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 को जारी की जा चुकी है।
30. उच्चतर अधिकारी के रूप में जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण में सचिव; नगर सुधार न्यास अजमेर, उदयपुर, कोटा, अलवर, गीलवाड़ा एवं भिवाड़ी में सचिव तथा शेष अन्य नगर सुधार न्यासों में अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। नगर परिषदों/नगरपालिकाओं (जिनके आयुक्तों/अधिशासी अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है) के मामलों में उच्चतर अधिकारी के रूप में स्थानीय निकाय विभाग के क्षेत्रीय उप-निदेशक को नियुक्त किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 को जारी की जा चुकी है।

ले-आउट प्लान/एकल पटटा साइट प्लान अनुमोदन की प्रक्रिया

31. प्राधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट भेजने के पश्चात् नगर निकाय द्वारा ले-आउट प्लान स्वीकृत करने संबंधी कार्यवाही भी की जायेगी। ले-आउट प्लान स्वीकृति के लिए आवेदक का वही प्रार्थना पत्र माना जायेगा जिसकी प्रति प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से नगर निकाय को उपरोक्तानुसार प्रक्रिया में प्राप्त हुयी है।

ले-आउट प्लान कमेटी

32. ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु पूर्व में गठित ले-आउट प्लान समिति के स्थान पर निम्नानुसार समितियों का गठन किया गया है, समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की जायेगी :—

- (i) जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण के लिए :—
• वर्तमान में गठित प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति
- (ii) नगर विकास न्यासों के लिए :—
• सचिव, नगर विकास न्यास —अध्यक्ष
• न्यास में पदस्थापित वरिष्ठ / उप/सहायक नगर नियोजक —सदस्य—सचिव
• संबंधित क्षेत्र का अधिशासी/सहायक अभियन्ता —सदस्य

- (iii) नगरपालिका / परिषदों के लिए :-
- सभापति, नगर परिषद / अध्यक्ष, नगरपालिका - अध्यक्ष
 - जोनल वरिष्ठ / उप नगर नियोजक / जिला नगर नियोजक - सदस्य
 - संबंधित क्षेत्र का अधिशासी / सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता - सदस्य
 - आयुक्त / अधिशासी अधिकारी - सदस्य सचिव
33. नगर निकाय द्वारा ले-आउट प्लान स्वीकृति की कार्यवाही नगर निकाय के लिए लागू विधिक प्रावधानों / नियमों / उप-नियमों / टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।
34. नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को मौका जांच के आधार पर जो रिपोर्ट भेजी जायेगी उसके आगे बढ़ते हुये ले-आउट प्लान स्वीकृति हेतु गठित कमेटी के लिए एजेण्डा नोट तैयार करने, कमेटी की बैठक करने, कमेटी की बैठक की मिनट्स जारी करने एवं ले-आउट स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा जारी पूर्व आदेशों के तहत यथावत की जायेगी लेकिन इसके लिए अब समय सीमा निर्धारित होगी। इस समस्त कार्यवाही की अधिकतम समयावधि एक माह रहेगी अर्थात् जिस दिन प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्र की प्रति नगर निकाय को प्राप्त हुयी है उस दिन से 30 दिवस के भीतर ले-आउट प्लान कमेटी द्वारा किये गये निर्णय की मिनट्स जारी हो जानी चाहिए।
35. यदि निम्नांकित सभी शर्तों की पूर्ति हो जाती है तो नगर निकाय आवेदित भूमि को आवंटित करने के लिए 15 दिवस के भीतर आदेश पारित करेगा और लीज डीड, या यथास्थिति, एकल पट्टा जारी करने से पूर्व निम्नानुसार सुनिश्चित करेगा :-
- (i) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियम 7 (1) में अकृषि उपयोग की अनुज्ञा जारी कर दी गयी हो,
 - (ii) प्रीमियम राशि तथा लीज रेन्ट (Urban assessment) जमा करा दिया गया हो।
 - (iii) ले-आउट प्लान अनुमोदित कर दिया गया हो और ले-आउट प्लान कमेटी द्वारा ले-आउट प्लान का अनुमोदन यदि सशर्त किया गया है तो आवंदक द्वारा उन शर्तों को पूर्ति कर ली गयी हो और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित शुल्क / राशि जमा करा दिये गये हो।
 - (iv) बाह्य विकास शुल्क और आतंरिक विकास शुल्क तथा अन्य शुल्क जो राज्य सरकार या नगर निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये हैं, जमा करा दिये गये हो।
36. जहा सशर्त ले-आउट प्लान अनुमोदित किया गया है वहाँ अनुच्छेद 35 में वर्णित 15 दिवस की समयावधि उस दिन से प्रारम्भ होगी जिस दिन शर्तों की पूर्णतः पालना हो गयी है और देय सभी शुल्क जमा हो गये हैं।

37. आवेदक यदि निर्धारित प्रीमियम राशि एवं लीज रेन्ट तथा अन्य निर्धारित शुल्क मांग—पत्र जारी करने के 90 दिवस के भीतर जमा नहीं कराता है तो 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया जायेगा और मांग पत्र प्राप्ति के छः माह के भीतर उक्त राशि जमा नहीं कराने पर इन नियमों में दी गयी अनुमति स्वतः निरस्त मान ली जायेगी।

(ब) दिनांक 17.06.1999 के पूर्व के प्रकरण —

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपनायी जानी वाली प्रक्रिया

- 1 दिनांक 17.06.1999 के पूर्व कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग से संबंधित प्रकरणों के नियमन संबंधी प्रावधान अब धारा 90-ए की उप-धारा (8) के अन्तर्गत किये गये हैं तथा इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुमति और आवंटन) नियम, 2012 के अध्याय -3 में बतायी गयी है।
- 2 कृषि भूमि पर संबंधित व्यक्ति के अधिकार और हित समाप्त किये जाने के आदेश प्राधिकृत अधिकारी जारी करेगा। प्राधिकृत अधिकारी उपरोक्तानुसार दिनांक 31.05.2012 की अधिसूचना से नियुक्त किये जा चुके हैं।
- 3 दिनांक 17.06.1999 के पूर्व के प्रकरणों में कृषि भूमि पर संबंधित व्यक्ति के अधिकार एवं हित समाप्त किये जाने के आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्व-प्रेरणा से या नगर निकाय द्वारा संदर्भित किये जाने पर भूमि के संबंध में प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुये आपत्तियां आमंत्रित करेगा, जिसके लिए वह,—
 - (क) संबंधित भूमि के खातेदार काश्तकार को नियमों में निर्धारित प्ररूप-12 में 7 दिवस का नोटिस जारी करेगा,
 - (ख) प्ररूप-13 में लोक सूचना 7 दिवस के लिए अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा,
 - (ग) प्ररूप-13 में ही लोक सूचना राज्यस्तरीय कम से कम एक समाचार पत्र में तत्काल प्रकाशित करायेगा, और
 - (घ) प्ररूप-13 में जारी लोक सूचना की एक प्रति नगर निकाय में कार्यरत तहसीलदार और जिन नगर निकायों के अधीन तहसीलदार कार्यरत नहीं हैं वहां क्षेत्र के तहसीलदार को भी प्रेषित करेगा।
- 4 अनुच्छेद 3 की कार्यवाही के बाद प्राधिकृत अधिकारी अपने स्तर पर भी जांच करेगा जिसके लिए वह किसी नगर निकाय या सरकारी विभाग से रिपोर्ट/सूचना प्राप्त कर सकता है, किन्तु हितवद्ध व्यक्तियों या सरकारी/ नगर निकाय के अधीन अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के बयान ले सकता है या उनका परीक्षण कर सकता है, मौका निरीक्षण कर सकता है या नगर निकाय को अनिवार्य होने पर भूमि का सर्वे करने का निर्देश भी दे सकता है।
- 5 प्राधिकृत अधिकारी प्राप्त अभ्यावेदनों/आक्षेपों एवं उनके निस्तारण, प्राप्त अभिलेखों के परीक्षण और उसके समक्ष रखे गये सभी सुसंगत तथ्यों/साक्ष्यों पर विचार करते हुये भूमि से ऐसे व्यक्ति के अधिकार और हितों को समाप्त

✓

(Terminate) करने के लिए और उक्त भूमि के राज्य सरकार में निहित होकर नगर निकाय के व्याधीन रखी गयी समझी जाने के आदेश पारित करेगा।

- 6 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यवाही संक्षेपतः (Summarily) की जायेगी जो लोक सूचना जारी करने की तिथि से 15 दिवस के भीतर समाप्त कर ली जायेगी।
- 7 प्राधिकृत अधिकारी के उक्त आदेशों की पालना के लिये तहसीलदार द्वारा 7 दिवस के भीतर राजस्व रिकॉर्ड में नगर निकाय के नाम इन्द्राज कराया जायेगा। पालना की रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को भी तहसीलदार द्वारा दी जायेगी। प्रत्येक माह की 5 तारीख को प्राधिकृत अधिकारी सभी ऐसे आदेशों की एक सूची जिला कलेक्टर को भेजेगे ताकि वे भी अपने स्तर पर संबंधित तहसीलदार से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज संबंधी पालना किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर सके।
- 8 यदि तहसीलदार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जाती है तब भी भूमि नियमन/ले-आउट प्लान अनुमोदन आदि की कार्यवाही जो नगर निकाय द्वारा की जानी है वह प्रभावित नहीं होगी।
- 9 प्राधिकृत अधिकारी उक्त आदेश की प्रति नगर निकाय को भी भेजेगा ताकि नगर निकाय अनुज्ञेय गैर-कृषि उपयोग के अनुसार ले-आउट प्लान के अनुमोदन व भूमि नियमन की कार्यवाही कर सके।
- 10 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित खातेदार, जिसके अधिकार समाप्त किये गये हैं, को भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जायेगी, अन्य किसी माध्यम से नहीं दी जायेगी।
- 11 उक्त नियमों के नियम 3 में वर्णित निर्बन्धन दिनांक 17.06.1999 से पूर्व के भूमि नियमन के मामलों में भी अपवाद स्वरूप कुछ श्रेणी के प्रकरणों को छोड़कर लागू रहेंगे।
- 12 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के उपरान्त भूमि नगर निकाय के द्वारा निष्पादन किये जाने के लिए उपलब्ध (व्याधीन) मानी जायेगी। नगर निकाय ऐसी भूमि का नियमितिकरण अनुज्ञेय गैर कृषि प्रयोजन के लिए ही कर सकेगा।

ले-आउट प्लान/एकल पट्टा साइट प्लान अनुमोदन की प्रक्रिया

- 13 उक्त प्रकार से उपलब्ध हुयी भूमि का नियमितिकरण करने से पूर्व नगर निकाय पर लागू नियमों/उपविधियों/विनियमों के अधीन ले-आउट प्लान का अनुमोदन किया जायेगा।
- 14 यदि ले-आउट प्लान किसी व्यक्ति या सोसायटी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तो नगर निकाय अपने स्तर पर व्यवस्था कर संबंधित भूमि का सर्वे करायेगा और ले-आउट प्लान तैयार करेगा।

ले-आउट प्लान कमेटी

15 ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु पूर्व में गठित ले-आउट प्लान समिति के स्थान पर निम्नानुसार समितियों का गठन किया गया है, समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की जायेगी व ले-आउट प्लान उपरोक्त अनुच्छेद-14 के अनुरूप प्राप्त होने के पश्चात् अधिकतम 15 दिवस में निस्तारण आवश्यक होगा :—

(i) जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण के लिए :—

- वर्तमान में गठित प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति

(ii) नगर विकास न्यासों के लिए :—

- सचिव, नगर विकास न्यास —अध्यक्ष
- न्यास में पदस्थापित वरिष्ठ / उप/सहायक नगर नियोजक —सदस्य—सचिव
- संबंधित क्षेत्र का अधिशासी/सहायक अभियन्ता —सदस्य
- (iii) नगरपालिका/परिषदों के लिए :—
- सभापति, नगर परिषद / अध्यक्ष, नगरपालिका —अध्यक्ष
- जोनल वरिष्ठ / उप नगर नियोजक/जिला नगर नियोजक —सदस्य
- संबंधित क्षेत्र का अधिशासी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता —सदस्य
- आयुक्त/अधिशासी अधिकारी —सदस्य सचिव

ले-आउट प्लान हेतु मापदण्ड

16 दिनांक 17.06.1999 से पूर्व बसी कॉलोनियों के ले-आउट अनुमोदन बाबत् राज्य सरकार के निर्धारित किये हुये मापदण्ड निम्नानुसार लागू रहेंगे :—

(i) 17.06.99 से पूर्व अस्तित्व में आई आवासीय योजनाओं/कॉलोनियों में सामान्यतः आवासीय क्षेत्रफल 60 प्रतिशत एवं सुविधा क्षेत्र व सड़क का क्षेत्रफल 40 प्रतिशत होगा। आवासीय क्षेत्रफल में से अधिकतम 10 प्रतिशत (60 प्रतिशत का 10 प्रतिशत) व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अनुज्ञेय होगा। योजनाओं में 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर निर्माण होने की स्थिति में आवासीय क्षेत्रफल में अधिकतम 70 प्रतिशत तक शिथिलता संबंधित निकाय स्तर पर दी जा सकेगी।

(ii) 10 प्रतिशत व उससे कम भूखण्डों पर निर्माण होने की स्थिति में आवासीय क्षेत्रफल में शिथिलता दिये जाने हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् नगरीय/स्थानीय निकाय के स्तर पर नियमन की कार्यवाही की जायेगी।

(iii) निर्मित आवासीय योजनाओं/कॉलोनियों के मामले में जो भी सड़क की चौड़ाई मौके पर उपलब्ध हो उसे मान्यता प्रदान करते हुए कॉलोनियों का नियमन नगरीय/स्थानीय निकायों के स्तर पर किया जायेगा।

भूमि के नियमन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना एवं आवंटन/लीज डीड की
जारी करने की कार्यवाही करना

- 17 ले—आउट अनुमोदन के पश्चात नगर निकाय द्वारा 7 दिवस के भीतर दो राज्यस्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति जारी कर हकदार व्यक्तियों से भूमि नियमन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगे।
- 18 नगर निकाय द्वारा भूमि का नियमन भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को किसी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा किये गये आवंटन या दिये गये पट्टे के आधार पर या तो उनको या उस व्यक्ति द्वारा जिसके अधिकार और हित समाप्त किये जाने के आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये जा चुके हैं या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विक्रय या मुख्तारनामा या वसीयत या भूमि अन्तरण के लिए किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया जा सकेगा।
- 19 भूमि नियमन के लिए प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप (प्रारूप-14) में तीन प्रतियों (एक मूल एवं दो स्वयं आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित अनुप्रमाणित प्रतियों) में देना होगा जिसके साथ प्रारूप-15 व 16 भी सलग्न होगे। यह प्रार्थना पत्र नगर निकाय में ही प्रस्तुत किया जायेगा। प्रारूप-14 को मुद्रित कराते समय योजना का नाम, भूखण्ड संख्या, नाप, क्षेत्रफल, मौका स्थिति एवं पूर्व में जमा शुल्क इत्यादि के अंकन के लिए आवश्कतानुसार स्थान रखा जावे।
- 20 भूमि आवेदक की है और आवेदक के कब्जे में है यह समाधान होने के लिए उस भूमि के स्वत्व संबंधी सबूत, विक्रय विलेख, विक्रय करने के करार, मुख्तारनामा, मूल वसीयत या पट्टा और ऐसे दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी आवेदक को सलग्न करनी होगी।
- 21 नगर निकाय द्वारा ले—आउट अनुमोदन के पश्चात समाचार पत्रों में जारी लोक सूचना की विज्ञप्ति के 30 दिवस में भीतर आवेदकों द्वारा उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र भूमि नियमन हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
- 22 भूमि नियमन के किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ आवेदित भूमि के लिए देय प्रीमियम की समस्त राशि जमा कराने के सबूत के रूप में चालान जमा कराने की एक प्रति भी सलग्न करनी होगी।
- 23 यदि उक्त 30 दिवस की अवधि के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है और प्रीमियम की राशि तथा अन्य शुल्क जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किये हुये हैं जमा नहीं कराता है तो 30 दिवस की अवधि के अवसान की तारीख से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल किया जायेगा।
- 24 प्रीमियम की दरों का निर्धारण पृथक से अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
- 25 नगर निकाय भूमि नियमन संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों का इन्द्राज एक निर्धारित रजिस्ट्रर में रखेंगे।

- 26 नगर निकाय द्वारा आवेदन पत्रों एवं उनके संलग्न दस्तावेजों की जांच की जायेगी और यदि आवश्यक हो तो 15 दिवस के भीतर आवेदक से अतिरिक्त सुसंगत सूचना भी प्राप्त की जा सकेगी। यदि आवेदक अतिरिक्त सुसंगत सूचना प्रस्तुत नहीं करता है तो एकतरफा निर्णय किया जा सकेगा।
- 27 यदि निम्नांकित सभी शर्तों की पूर्ति हो जाती है तो नगर निकाय आवेदित भूमि को आवंटित करने के लिए 15 दिवस के भीतर आदेश पारित करेगा और लीज डीड, या यथास्थिति, एकल पट्टा जारी करेगा :—
- (i) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियम 13 (5) में भूमि पर काश्तकारी अधिकार समाप्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हो,
 - (ii) प्रीमियम राशि तथा लीज रेन्ट (Urban assessment) जमा करा दिया हो।
 - (iii) ले-आउट प्लान अनुमोदित कर दिया गया हो और ले-आउट प्लान के अनुमोदन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित शुल्क/राशि जमा करा दी हो।
 - (iv) बाह्य विकास शुल्क और आतंरिक विकास शुल्क (यदि लागू हो तो) तथा अन्य शुल्क जो राज्य सरकार या नगर निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये हैं, जमा करा दिये गये हो।
- 28 यदि आवेदन निरस्त किया जाता है तो उसके लिखित कारण अभिलिखित करने होंगे।

(स) सामान्य बिन्दु -

- 1 जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण तथा 11 शहरों में जहां नगर सुधार न्यास कार्यरत है उनके नगरीय क्षेत्रों में धारा 90-ए के तहत नगर निकाय के व्याधीन समझी गयी भूमि के नियमन/आवंटन संबंधी समस्त कार्यवाही संबंधित प्राधिकरण/न्यास द्वारा ही की जायेगी। अन्य शहरों में धारा 90-ए के तहत नगर निकाय के व्याधीन समझी गयी भूमि की आवंटन/नियमन संबंधी समस्त कार्यवाही संबंधित नगर परिषद/नगरपालिका द्वारा की जायेगी। इस परिपत्र में वर्णित नगर निकाय का तात्पर्य भी इसी अनुरूप समझा जावे।
- 2 सभी नगर निकायों के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करने की अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 को जारी की जा चुकी है। जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण में संबंधित ज्ञेन के उपायुक्त; नगर सुधार न्यास, अलवर, अजमेर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, उदयपुर एवं कोटा के उप सचिव/विशेषाधिकारी; नगर परिषदों (उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, श्रीगंगानगर एवं जैसलमेर को छोड़कर) में आयुक्तों तथा नगरपालिका मण्डलों (भिवाड़ी, आबूरोड, आबू पर्वत, चौमूं और बगरू को छोड़कर) के अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- 3 आवेदन पत्रों (प्र०-1,2,3व 4 अथवा प्र०-14,15 व 16) के प्रारूप समुचित मात्रा में मुद्रित करा लिये जावे। मुद्रण के समय ध्यान रखें कि उनके कॉलम्स और पैराओं में चाही गयी सूचनाओं तथा अतिरिक्त सूचनाओं को वर्णित करने हेतु समुचित स्थान उपलब्ध रहे।

4. कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग के लिए अनुमति एवं ऐसी अनुमति पर नगर निकाय के निस्तारण पर (व्याधीन) मानी गयी भूमि के आदंडन तक की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए स्थाय रीमा निर्धारित की गयी है। भूमि नियमन के प्रकरणों में भी विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के विभिन्न चरणों के लिए भी समय सीमा इस परिपत्र में निर्धारित कर दी गयी है जिसकी पालना किया जाना आवश्यक है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित कार्यवाही को राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारण्टी अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत शामिल किया जा रहा है।
5. पूर्ववर्ती धारा 90बी (3) के तहत लम्बित प्रकरणों के संबंध में नवीन नियमों के तहत निर्धारित प्ररूप में आवेदन पत्र एवं शुल्क प्राप्त किये जावे। पूर्व में लम्बित पत्रावली में संलग्न दस्तावेज यथावत उपयोग में लिये जा सकते हैं लेकिन जो दस्तावेज नवीन नियमों में वांछित है और पूर्व लम्बित पत्रावली में नहीं है वे भी प्राप्त किया जावे।
6. 17.06.1999 से पूर्व के और इसके बाद के प्रकरणों में जिनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये जायेगे उनकी अपील अब व्यथित व्यक्ति के द्वारा जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत की जा सकेगी। जिला कलेक्टरों को अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाने की अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 को जारी की जा चुकी है।
7. लीज रेन्ट/अरबन असैसमेन्ट के निर्धारण के संबंध में नियम-20 में प्रावधान किये गये हैं।
8. पूर्व में इस विभाग के आदेश क्रमांक प.5(8) नविवि/3/99 दिनांक 29.12.2004 के द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवेदक द्वारा प्रीमियम शुल्क/अरबन असेसमेन्ट की राशि दो भागों में निम्नानुसार जमा करायी जावे :-
 - (i) नगर निकाय विभाग के अंश की राशि (60 प्रतिशत) नगर निकाय द्वारा निर्धारित चालान/नकद प्राप्ति रसीद (जैसी भी व्यवस्था हो) के द्वारा जमा की जायेगी।
 - (ii) राज्य सरकार के हिस्से की राशि (40 प्रतिशत) सीधे चालान के जरिये राज्य कोष में लेखा शीर्ष 0029-भू-राजस्व-800 अन्य प्राप्तियां (07) कृषि भूमि को आबादी भूमि में बदलने की फीस (01) नगरीय विकास विभाग के माध्यम से, में जमा कराई जायेगी।
9. राज्य कोष में राशि जमा कराने के लिये संबंधित नगर निकाय द्वारा उपरोक्त लेखा शीर्ष अंकित कर चालान फार्म अपने स्तर पर मुद्रित कराया जायेगा, जिससे राशि के वर्गीकरण में त्रुटि की कोई संभावना नहीं रहे एवं चालान को बिना कोष कार्यालय से पारित करवाये सीधे राशि अधिकृत बैंक शाखा में जमा कराई जा सकें।
10. उक्त नियमों के अध्याय-4 में सन्निर्माण नहीं करने पर शास्ति, नामान्तरण, भूमि का अन्तरण, प्रतिवतन आदि के प्रावधान भी रखे गये हैं।

11. कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग की अनुमति, आवंटन अथवा नियमन से संबंधित समस्त कार्यवाही चरणबद्ध रूप से प्रत्येक नगर निकाय को नियमों में निर्धारित प्रारूप में रजिस्ट्रर में दर्ज करनी आवश्यक है। आवंटन (17.06.1999 के बाद के प्रकरण) के मामलों में प्ररूप 18 तथा नियमन (17.06.1999 से पूर्व के प्रकरण) के मामलों में प्ररूप 19 संधारित करना आवश्यक है। इन रजिस्टरों को नगर निकाय द्वारा अध्ययतन रखा जायेगा और इसकी पाक्षिक सूचना On-line के माध्यम से राज्य सरकार को नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी।
12. राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम 2012 तथा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 की हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद की अधिसूचनाएँ इस विभाग की वैब-साइट www.udhrajasthan.gov.in.com. पर उपलब्ध है। अधिकारियों की नियुक्ति वाली तीन अधिसूचनाएँ भी इस वैब साइट पर उपलब्ध है। सभी अधिसूचनाएं स्वायत शासन की वैब-साइट www.lsgraj.org पर भी देखी जा सकती है।
13. उक्त सभी अधिसूचनाएं राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें से दिनांक 02.05.2012 की अधिसूचना की प्रति आपको प्रेषित की जा चुकी है और दिनांक 31.05.2012 की अधिसूचना की प्रतियां भी आपको पृश्नक से प्रेषित की जा चुकी हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर कार्य सम्पादन करवाना सुनिश्चित किया जावे।

भक्तीय

 (गुरदेव सिंह संधु)
 प्रमुख शासन सचिव


राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.३(९०)नविवि / ३ / २०१२

जयपुर, दिनांक:— २१.०६.२०१२

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित हेतु :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
5. उप शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग एवं उप शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, (समस्त), राजस्थान।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम (समस्त), राजस्थान।
10. क्षेत्रीय उप-निदेशक (समस्त), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. गार्ड फाईल।


(आर०क० पारिक)
उप शासन सचिव-द्वितीय